

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/106678/MRB/MORADABAD/1713/CFO

दिनांक: 28-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स HOWARD COVENT SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 0.3 Km. Mile Stone, Near Earhi Dhampur Road, Kanth, Dhampur Road, Moradabad तहसील - Kanth, प्लॉट एरिया 6358.15 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 3060.53 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
MAIN BLOCK	3	0	11 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स HOWARD COVENT SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनबीसी एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 30-01-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री DEEPESH SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनबीसी की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 01-02-2024 से 31-01-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स HOWARD COVENT SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स HOWARD COVENT SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : एफएसएसओ श्री गगन कुमार द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखों एवं संशोधित मानचित्र का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के अनुसार भवन पूर्व से निर्मित व संचालित है जो शासनादेश संख्या 18-छ-पु0-8-2022-905-34-2016 टीसी0 दिनांक 07.01.2022 में आकलित है शासनादेश के अनुसार सैट बैंक की सहमति सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। अपलोड अभिलेखों में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाए विद्युत व्यवस्थापन की जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय से करा ली जाए अग्निशमन व्यवस्था को कार्यशील दशा में बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध रखा जाए जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पर प्रबंधन की होगी एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन
अधिकारी)



Digitally Signed By
(KRISHNA KANT OJHA)

1EAD078289550F5D9B50FEA91CEFA11EFC241D0E91

01-02-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-02-2024

स्थान : MORADABAD